बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या– 9प/मु0नी0–06–601/2015/......02........../पं0रा0, पटना दिनांक 01/01/2025

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 487 दिनांक– 15.01.2014, यथासंशोधित संकल्प सं0–3882/वि0 दिनांक–03.05.2023 द्वारा निर्धारित शर्तों के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार के न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र/आवेदन इत्यादि दायर करने हेतु तथ्य विवरणी (अंग्रेजी में) तैयार करने के लिए परीक्षोपरांत अनुशंसा के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश सं0–12342 दिनांक– 23.12.2022 के अतिरिक्त निम्नलिखित विद्वान अधिवक्ताओं के नाम भी विभागीय पैनल में सम्मिलित किये जाते हैं:–

क्र.सं0	अधिवक्ता का नाम	जन्म तिथि	मोबाईल नं०	अभ्युक्ति
1.	मो0 असलम अंसारी	02.01.1971	9431073687	
2.	श्री संजय कुमार भारती	05.02.1973	8271225414	
3.	श्री मोनीश अहमद	25.07.1990	8619408570	
4.	श्री अभय कुमार उपाध्याय	31.12.1981	9525360911	
5.	श्री राजेश कुमार	15.06.1970	9835806330	
6.	श्री बिरेन्द्र कुमार झा	29.04.1966	9334155074	
7.	श्री कुमार विक्रम	03.07.1978	9431273658	
8.	मो0 जीशान कलीम	03.08.1986	7903868804	
9.	श्री मनीष कुमार	01.01.1976	9430605290	
10.	श्री धनंजय कुमार	01.03.1982	8002521605	
11.	श्री उमेश प्रसाद	01.10.1968	9431880499	
12.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह	26.06.1974	9835458854	
13.	श्री संजय कुमार सिंह	11.01.1966	9801581432	
14.	श्री सतीश कुमार	15.07.1971	9279059741	
15.	श्री स्वामी पारथा सारथी	06.01.1986	7070098077	
16.	श्री अमरेन्द्र कुमार	15.02.1972	9835633808	
17.	श्री दिनेश कुमार	04.01.1961	9431882105	
18.	श्री जैनेन्द्र कुमार सिन्हा	29.11.1963	6201975850	
19.	मो0 फैजल करीम	04.12.1984	8860764786	
20.	श्री प्रशांत प्रकाश	04.05.1980	9818770903	

उपर्युक्त अधिवक्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ विभिन्न न्यायिक वादों में विभाग की ओर से दायर की जाने वाली तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/अपील/आवेदन आदि के प्रारूप तैयार करने हेतु विभागीय पैनल में सम्मिलित किया जाता है:–

(1.) प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए वित्त विभाग का पत्रांक– 487 दिनांक– 15.01.2014 यथासंशोधित संकल्प ज्ञापांक–3882/वि0 दिनांक–03.05.2023 द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आलोक में तथ्य विवरणी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है तो, रू0 2,000.00 (दो हजार रूपये) मात्र तथा प्रारूप के कम्पयूटर टंकण आदि मद में प्रति

अनुमोदित तथ्य विवरणी रू० 5,00.00 (पांच सौ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 2,500.00 (दो हजार पांच सौ रूपये) मात्र की राशि भुगतेय होगी। यह दर राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के आलोक में समय–समय पर बढ़ या घट सकती है।

(2.) संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रत्येक माह के प्रारंभ में विगत माह में तैयार की गई तथ्य विवरणी की सूची के साथ अपना विपत्र विभाग को समर्पित करना होगा, जिसकी जाँचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(3.) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की अपेक्षा होगी कि संबंधित अधिनियमों/नियमावलियों/विभागीय अनुदेशों से भली–भाँति अवगत हो लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय इनके सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख किया जा सके।

(4.) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की यह भी अपेक्षा होगी कि वे पंचायती राज विभाग के मामलों में पूर्व में पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों की जानकारी भी प्राप्त करे लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का समावेश भी तथ्य विवरणी में किया जा सके।

(5.) विभाग द्वारा सौंपे गये मामलों के संबंध में पैनल अधिवक्ता द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाये रखी जानी होगी और इनसे संबंधित जानकारी विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किन्हीं व्यक्ति/संस्था को नहीं दी जानी होगी। जिन मामलों में पैनल अधिवक्ता द्वारा विभाग के लिए तथ्य विवरणी तैयार की जाती है उनमें वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो कोई परामर्श विरोधी पक्ष या उनके प्रतिनिधि इत्यादि को देंगे और न उस मामले में विभाग के विरूद्ध किन्हीं का वकालतनामा स्वीकार करेंगे। प्रत्येक मामलें में उनके द्वारा Professional Ethics का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6.) मामलों की महत्ता को देखते हुए विभागीय पैनल के अधिवक्ताओं से विभाग की यह अपेक्षा रहेगी कि विभाग द्वारा तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/वाद इत्यादि दायर करने हेतु संबंधित मामलों में वे एक या दो दिनों के भीतर तथ्य विवरणी/प्रारूप आदि तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा देंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय/अन्य माननीय न्यायालयों में विभाग के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई में कोई विलम्ब न हो।

(7.) पैनल अधिवक्ता को कार्य आवंटन विभाग का एकाधिकार होगा।

उपर्युक्त पैनल को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्तित/संशोधित/रद्द किया जा सकेगा।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–9प/मु0नी0–06–601/2015/.....11...../पं0रा0, पटना दिनांक 01/01/2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पैनल अधिवक्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–9प/मु0नी0–06–601/2015/.....11...../पं0रा0, पटना दिनांक 01/01/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मनैजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

पत्रांक:-वि०प्र० 12-56/2010.....3882...../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

दि० 03/05/2023

संकल्प

विषय :- **विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण।**

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3727 दिनांक 30.04.2009 द्वारा विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएँ कतिपय शुल्क के आधार पर प्राप्त करने संबंधी संसूचित निर्णय के क्रम में कालांतर में क्रमशः संकल्प ज्ञापांक-7248 दिनांक-04.08.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक 487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण हुआ ।

सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्रभावी अनुमान्यता निम्नवत् है:-

क्र.	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रति वाद तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹1200/- (एक हजार दो सौ रूपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु	₹300/- (तीन सौ रूपये)

2. वर्ष 2014 में निर्धारित उक्त अनुमान्यता के पश्चात काफी समय बीत जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह आवश्यकता पाई गई कि तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया में निहित मदों का शुल्क पुनरीक्षित किया जाय ।

3. इस हेतु दिनांक-24.04.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत की गई अनुशंसा के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुरूप शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹2000/- (दो हजार रूपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु (आशुलेखन सहित)	₹500/- (पाँच सौ रूपये)

4. शुल्क/पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग के बजट उपबंध के अंतर्गत विषय शीर्ष-13 05-विधि प्रभार मद में उपबंधित राशि से अनुमान्य होगा ।

5. तद्नुसार एतद्संबंधी पूर्व निर्गत आदेश उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) 03/5/2023

ज्ञापांक:-वि०प्र०-12-56/2010.....3882...../वि०, **पटना, दिनांक**...03.05.2023

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।